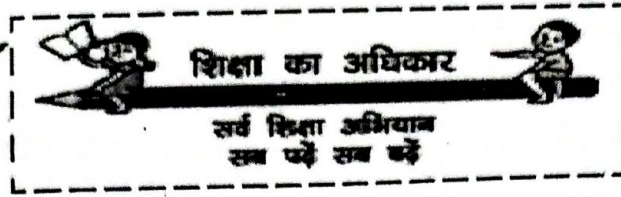


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारंभिक शिक्षा),अजमेर



क्रमांक:-जिशिअ/प्राशि/अज/आरटीई0-प्रशि/मान्यता/2016-17/2255 दिनांक 06/07/16

✓ प्रधानाचार्य,
सेंट स्टीवनज उमावि
माकडवाली रोड,अजमेर।

विषय :- आरटीई मान्यता के नवीनीकरण के संबंध में।
प्रसंग :- आपका पत्रांक-एसएसए/स्था/16-17/116 दिनांक 15.06.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आपकी संस्था के द्वारा कार्यालय द्वारा पूर्व मान्यता पत्र (पत्रांक-673 दिनांक 26.11.2012) को जारी किया गया है, के नवीनीकरण हेतु स्व0घोषणा पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में निर्देशक प्रा0शि0 राजस्थान,बीकानेर के प्रासांगिक पत्र 268 दिनांक 16.12.15 के द्वारा निरीक्षणउपरान्त जारी आरटीई मान्यता के संबंध में प्रगति चाही जा रही है एवं निर्देशित किया गया है कि वे विद्यालय जो सत्र 2010 से पूर्व संचालित थे एवं जिनके द्वारा पूर्व में आरटीई मान्यता हेतु प्रारूप 01 में आवेदन किया जा चुका है। उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः आपकी संस्था में कार्यालय स्तर पर मान्यता नवीनीकरण किया जाना संभव नहीं है। चूंकि पूर्व में आपकी संस्था को (आरटीई मान्यता) प्रदान की जा चुकी है।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा अजमेर।
दिनांक

क्रमांक:-जिशिअ/प्राशि/अज/आरटीई0-प्रशि/मान्यता/16-17/
प्रतिलिपि :-

- 01 श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-1 अजमेर।
- 02 रक्षित प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा अजमेर।

For St. Stephen's School Society Ajmer

MANAGER

Principal

St. Stephen's Senior Secondary School
Ajmer

प्रारूप-2

ST. STEPHEN'S SCHOOL, AJMER
No. 1106
DATE 08/12/12
RENU SHARMA

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), अजमेर

संख्यांक :- क्रमांक-जिशिअ / प्राशि / अज / मान्यता / 12-13 / 673 दिनांक 26.11.12

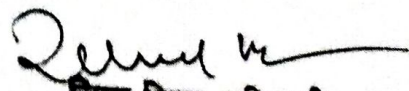
प्रबन्धक
St. Stephen's primary school, (English Med.)
Makarwali Road - Ajmer

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक.....के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्तर्वती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं St. Stephen's primary school, Makarwali Road - Ajmer. (विद्यालय का नाम पते सहित) को दिनांक 01.07.2012 से दिनांक 30.06.2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा.....से कक्षा.....तक के लिए अन्तरिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन है:-

- 1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता / संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ौस के कमजोर वर्गों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4 पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रातिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रातिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर

For St. Stephen's School Society Ajmer

B. Jambhria
MANAGER

Principal

St. Stephen's Senior Secondary School
Ajmer

- 5 सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6 विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
- 7 विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :-
 - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 8 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 9 विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
- 10 विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्र

कुल निर्मित क्षेत्र

कक्षा कक्षों का क्षेत्रफल

कक्षा कमरों की संख्या

प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

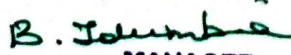


जिला शिक्षा अधिकारी
प्राथमिक शिक्षा, अजमेर

Principal

St. Stephen's Senior Secondary School
Ajmer

For St. Stephen's School Society Ajmer


MANAGER

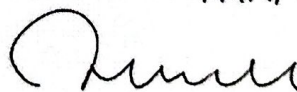
मिड-डे-मील प्रकाने के लिए रसोई

बद्धा रहित पहुंच

अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद ^{उपकरणों} ~~उपकरणों~~ पुस्तकालय की उपलब्धता

- 11 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
- 12 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 13 विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 14 विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 15 विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), अजमेर को भेजी जानी चाहिए।
- 16 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक.....**673**..... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
- 17 विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), अजमेर द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएँ।
- 18 सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 19 संलग्न उपाबंध-III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,



जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर

Principal

St. Stephen's Senior Secondary School
Ajmer

For St. Stephen's School Society Ajmer

B. Jolundre
MANAGER